संख्या-01/**2020/**379/**33-1-2020-2619/2013**टीसी

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ**0**प्र**0** लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-**1** लखनऊ: दिनॉक: **04** फरवरी, **2020**

विषय:- **अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पद के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2/2797/2019-2/28/2017, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्धारण का अनुरोध किया गया है।

2- नवसृजित अपर जिला पंचायतराज अधिकारी पद के कर्तव्य एवं दायित्वों मुख्यत: निम्नवत् है:-

1. अपर जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्य रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गये कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी की अनुपस्थिति में आहरण एवं वितरण को छोड़कर समस्त नैतिक कार्यो का सम्पादन तथा विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करना।
3. प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम पाँच ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करना।
4. ग्राम पंचायतों के आडिट सम्बन्धी कार्य तथा आडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
5. मा0 न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण कराया जाना।
6. जन सूचना अधिकार सम्बन्धी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण।
7. ग्रामीण स्वच्छता मिशन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य।
8. सफाई कर्मचारियों के विरूद्ध प्रख्यापित अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण कराया जाना एवं सफाई कर्मियों की उपस्थिति उनकी तैनाती को ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराना।
9. बैंक रिकैसिलिएशन के कार्य में लेखा/कैशियर से समन्वय स्थापित कर समय से पूर्ण कराना।
10. विभिन्न पोर्टल पर सूचनाओं को दैनिक रूप से अद्यतनीकरण (Updation) कराना।
11. पंचायतों के विभिन्न पदों/स्थानों के निर्वाचन विषयक कार्यो में समय-सारिणी के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराने में उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
12. गोवंश संरक्षण विशयक आदेशों/निर्देशों को अनुसरण/अनुपालन सुनिश्चित कराना।
13. पंचायतों के अभिलेखों के रख-रखाव की मॉनीटरिंग कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. अन्तरविभागीय समन्वय विषयक कार्य।

15. योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण कराया जाना।

16. जनपद स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण के लक्ष्यों की प्रगति एवं कराये गये निर्माण कार्यो का प्रचार-प्रसार तथा अनुश्रवण।

17. पंचायत भवन योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन/पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों का स्थलीय सत्यापन/पायी गई कमियों के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

18. ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण का अनुश्रवण।

19. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन अपने तथा अपने अधीनस्थ स्तरों पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

4- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) उत्तर प्रदेश।

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ0प्र0।

7- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त अधिकारीगण, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in